Create e-Road Permit (Form D-IX) online

- 1. वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार का वेबसाइट खोले।
- 2. अपना user ID तथा password डाल कर Login करे।
- 3. स्क्रीन पर प्रदर्शित Suvidha आइकोन / बटन को क्लिक करे।
- 4. कम्प्युटर स्क्रीन पर खुले फार्मेट में खाली जगहों में राज्य के बाहर से मंगाए जा रहे माल का विवरण भरे।
- 5. Submit बटन पर क्लिक करे और स्वतः कम्प्युटर जनित सुविधा संख्या प्राप्त करे।
- 6. सामान के परिवहन / transit के क्रम में विभागीय जांच के मौके पर इसे प्रस्तुत करे।
- 7. किसी प्रकार की असुविधा होने पर विभागीय हेल्प लाइन संख्या 1800 3456 102 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक फ़ोन करे या इमेल : vattcs.helpdesk@gmail.com पर लिखे।